

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन कार्यालय)
आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: बी0-114-103(0001)/2016-64/आ० दिनांक 24.11.2016 के द्वारा प्राप्त शीर्ष 2015-निर्वाचन-103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण, उपशीर्ष - 0001- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची की 11 01 यात्रा व्यय, विपत्र कोड-एन 2015001030001 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का पदनाम	11 01 यात्रा व्यय		
		वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व उपावंटित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्तमान में उपावंटित की जा रही राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्तमान उपावंटन को मिलाकर कुल उपावंटित राशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	0	4,950.00	4,950.00
	योग:-	0	4,950.00 (चार हजार नौ सौ पचास रुपये) मात्र	4,950.00 (चार हजार नौ सौ पचास रुपये) मात्र

2. उपावंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015-निर्वाचन-103 निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण - 0001- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची की 11 01 यात्रा व्यय इकाई में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपावंटित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या-06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड एन-2015001030001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक:- 2561 वि०(2) दिनांक-17.04.1998 पत्रांक -423/वि० दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक 2793/वि० दिनांक 04.04.2016 एवं पत्रांक- 4572/वि० दिनांक- 03.06.2016 के आलोक में उपावंटित है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उपावंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. (i) उपावंटित राशि से पूर्व वित्तीय वर्षों के किसी प्रकार के बकाया/अन्यान्य कार्यों पर हुए व्यय का भुगतान नहीं किया आयेगा। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। इस उपावंटित राशि में से पूर्व के वित्तीय वर्षों के किसी बकाया का भुगतान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्वानुमति के बिना नहीं की जाएगी।

(ii) उपावंटित राशि की निकासी ए०सी० विपत्र पर कदापि नहीं की जायेगी।

(iii) उपावंटित राशि से संबंधित दायित्वों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण प्रक्रिया (Electronic fund Transfer Process)/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को किया जायेगा। उपावंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

